

>

Title: Regarding the demand for inclusion of some most backward castes of Bihar in the list of SCs/STs.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बिहार राज्य में पिछड़ी जातियों और अतिपिछड़ी जातियों का बुय हाल है। इसलिए सभी जातियों ने अपनी-अपनी एक महासंघ बना ली है। वे महासंघ बना कर सम्मेलन करते हैं, जुटान करते हैं और मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं? लोहार महासंघ, नोनिया महासंघ, मल्लाह महासंघ, धानुक महासंघ, कानू महासंघ, केवट महासंघ, गोइही महासंघ, कैवर्त महासंघ, तुरहा बिल्द बेलदार महासंघ, गेरुइया महासंघ, कुम्हार महासंघ, बढई महासंघ, कहार महासंघ और हजाम महासंघ। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not divert his attention. Let him speak.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये सभी महासंघों ने मांग की है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। ब्रिटिश राइटर ने लिखा है और सन् 1981 में जब केन्द्र से यह विभाग होम मिनिस्ट्री में था तो राज्य सरकार से परामर्श हुआ था। राज्य सरकार की कोताही के चलते अभी तक इन लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई है। इसी तरह से तटवा, ताती, तुरहा और तेली ये चारों जातियां कहती हैं कि हमारी हालत सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए हम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। यह देखेगा सामाजिक अधिकारिता विभाग और उनको देखेगा ट्राइबल विभाग। एक तेली महासंघ है, वह मांग करते हैं कि हमको अति पिछड़ी जाति में रखा जाए और राज्य सरकार ने आयोग भी बना दिया। आयोग ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। सभी महासंघों के लोग लड़ रहे हैं। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि अति पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इन महासंघों के मांग के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने हेतु कानून लाए, हम लोग इसका समर्थन करेंगे। यह राज्य सरकार से पूछताछ और लिखा-पढी करे, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया समाज अध्ययन संस्थानों से इनका अध्ययन करे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Ajay Kumar has been allowed to associate with the issue raised by Dr. Raghvansh Prasad Singh.